



(अधिनियम) द्वारा प्राइवेट से जुड़ी रक्षा करा

सश पढ़ सद्गुरु



प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बलिगा।

सेवा में,

प्रबन्धक,
ग्रीन वैली प्रसिक स्कूल,
पठखाली, देवकली,
शिक्षा क्षेत्र: हनुमानगंज, बलिगा।

पत्रांक : ३६६ / ३५७६ -७९ / २०१७-१८ दिनांक . २९.५.२०१८

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 की प्राप्ति
के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के
उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण -पत्र।

प्रिय महोदय/ महादया,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0-419/79-6-2013-18 एस (7)/ ८० दिनांक ८ मई 2013
के अनुपालन में आपके विद्यालय का कक्षा नर्सरी से कक्षा ८ तक दिनांक 01.07.2014 से दिनांक 30.
06.2017 तक इस कार्यालय के पत्रांक / 13178-82/2015-16 दिनांक 25.05.2018 द्वारा तीन वर्षों
की अवधि के लिए औपचारिक मान्यता सम्प्रेषित किया गया था।

उक्त के सम्बन्ध में आप द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर क्षेत्रीय खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा की
गयी जोच एवं संस्तुति के उपरान्त शासन द्वारा निर्गत राजाज्ञा सं0-418/79-6-2013-18 एम (7)
७९ दिनांक ८ मई 2013 के प्रस्तुत 15 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत एवं द्वारा कक्षा नर्सरी से
कक्षा ८ तक की औपचारिक मान्यता प्रदान की जाती है। उक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के
भविष्य में विद्यमान रहने के अधीन होगी।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों को पूरा किये जाने के अध्यधीन है :-

1. मान्यता के लिए स्वीकृति वित्तारणीय नहीं हैं और उसमें किसी भी रूप में कक्षा ०४ के
पश्चात मान्यता/ सम्बन्धन करने के लिए कोई बाध्यता विवरण नहीं हैं।
 2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबन्ध-1) और
उ0प्र०० निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियमावली 2010 (उपबन्ध-2) के उपबन्धों
का पालन करेगा।
 3. विद्यालय कक्षा -1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के २५
(पचासी) प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमज़ोर वर्ग, और सूचिया विहिन समूह के बालकों
को प्रवेश प्रदान करेंगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पुरा हों जाने
तक उपलब्ध करायेगा।
 4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के
उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय
एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
 5. सोसाइटी/ विद्यालय किसी कैपीटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या
उसके माता-पिता या संबंधित को किसी स्कूलिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
 6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इनकार
नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा-15 के उपबन्धों का पालन करेगा।
- प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने
तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं
किया जायेगा।
 - किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया
जायेगा।
 - प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की
अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की
अपेक्षा नहीं की जायेगा।
 - अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता/ विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों
को प्रवेश दिया जाना सुनिहित छिला जाएगा।
 - अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा-23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम
अर्हताओं के साथ की जाती है। इसका अनिवार्यतः भालन किया जानेगा।



Name: Kavita
Manager
Green Valley Public School

Name: Principal
Bhawna
Green Valley Public School

- Ranu
- अध्यापक अधिनियम की धारा-24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।
 • अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रिया कलाओं में नियोजित नहीं करेगा।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनायें रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:-
- विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल-53725 वर्गफीट
 - कुल निर्मित क्षेत्र-3190 वर्गफीट
 - क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल-85535 वर्गफीट
 - कक्षाओं की संख्या-04 वर्गफीट
 - प्राध्यापक सह कार्यालय- सहभण्डार के लिए कक्ष- उपलब्ध है।
 - बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय-उपलब्ध है।
 - पेय जल-उपलब्ध है।
 - भीड़-डे-मिल पकाने के लिए रसोई-उपलब्ध है।
 - बाधा रहित पहुँच-सुनिश्चित की गयी है।
 - अध्यापन पाठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्कर/पुस्तकालय की उपलब्धता-उपलब्ध है।
9. विद्यालय परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जायेगी।
10. विद्यालय भवन या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860(1860 का 21) में अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्याय द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. लेखाओं की सम्परीक्षा (आडिट) और प्रभागन किसी चार्टड एकाउन्टेंट द्वारा किया जाना चाहिए और नियमानुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित की जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक 463/2012 है। कृपया इसको व्यान रखा जाय और इस कार्यालय के साथ किसी नी पत्र व्यवहार के लिए इस संख्यांक उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो/और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता सन्वन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने यो विद्यालय की कार्यकरण की कमियों लो दूर करने के लिए जारी किये जायें।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जायें।
17. विद्यालय प्रबन्धन/न्यास और कर्मचारी वर्ग समय-समय पर जारी किये गये राज्य सरकार के आदेशों का अनुपालन करेगा।
18. संलग्न उपबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

नवदीय

(संतोष कुमार राय)
 जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी
 बलिया

पृष्ठा ०५ व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. नण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (वैसिक) आजमगढ़।
2. जिला समाज कल्याण अधिकारी, उलिया।
3. खण्ड शिक्षा अधिकारी शिक्षा क्षेत्र : हनुमानगंज बलिया।

(संतोष कुमार राय)
 जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी
 बलिया

